

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज एम राम भाटी बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी) सू.अ.अपील संख्या 52/2023</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>08-04-24</p>	<p>अपीलार्थी एम राम भाटी निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, बोयल रोड़, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02/11/23 में (1) पटवार हल्का पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर के खसरा नं. 1866, 1868 व 1869 हेतु दिनांक 01/01/2001 से आज दिनांक क स्वामित्व को लेकर हुए परिवर्तन की जानकारी व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ सिटी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	